डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-19, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

26 नवंबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

मुख्यमंत्री का जनदर्शन: संवेदनशील शासन की मिसाल, त्वरित हुए राहत के फैसले

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि संवेदनशील और जवाबदेह शासन ही जनता की वास्तविक उम्मीदों पर खरा उतरता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएँ, सुझाव और मांगें सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

दिव्यांग खिलाड़ी को मिली बड़ी सहायता

रायपुर जिले के अभनपुर निवासी दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी श्री पिंटू राम साहू ने जनदर्शन में व्हीलचेयर एवं आवश्यक खेल उपकरणों की खरीद के लिए

आर्थिक सहायता की मांग रखी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उनकी मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए 90 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत स्वीकृत की और उन्हें मौके पर ही चेक प्रदान किया। सहायता प्राप्त कर श्री साहू ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग उनके खेल जीवन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

श्रवण बाधित रमन की बदली जिंदगी

जनदर्शन के दौरान रायपुर के ब्राह्मणपारा निवासी श्री रमन निर्मलकर ने मुख्यमंत्री से श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे श्रवण यंत्र नहीं खरीद पा रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्हें तुरंत श्रवण यंत्र सौंपा। श्रवण यंत्र मिलने पर श्री निर्मलकर भावुक हो उठे और कहा, "अब फिर से सुन पा रहा हूँ... मुख्यमंत्री जी की इस मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी है।"

पेंटर शिवकुमार की अनूठी भेंट

जनदर्शन में सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ग्राम चकरदा निवासी पेंटर शिवकुमार निराला ने मुख्यमंत्री को एक अभिनव 'राजनीतिक मानचित्र' भेंट किया।

उनकी रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बनी। मुख्यमंत्री ने मानचित्र की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। यह सचित्र मानचित्र छत्तीसगढ़ की राजनीतिक यात्रा, लोकसभा–विधानसभा सदस्यों, मंत्रिमंडल की रूपरेखा और 1998 से अब तक के चुनावी विश्लेषण को सुंदर ढंग से प्रदर्शित करता है।

हाफ बिजली योजना

जनता को बड़ी राहत, 200 यूनिट तक हाफ बिजली

विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई बिजली योजना की घोषणा करते हुए 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पूरा हाफ बिल मिलेगा, जिससे 36 लाख परिवारों को सीधा लाभ होगा। वहीं 200-400 यूनिट खपत वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को भी एक वर्ष तक यही फायदा मिलेगा। योजना 1 दिसंबर से लागू होगी। पीएम सूर्यघर योजना के तहत देते हुए सब्सिडी दी जाएगी।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

पहले दिन 19,464 क्विंटल उपार्जन, किसानों में उत्साह

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। 195 उपार्जन केन्द्रों में पहले दिन 19,464 क्विंटल धान की खरीदी हुई। किसानों का तिलक एवं पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। तुंहर टोकन और ऑनलाइन टोकन प्रणाली ने किसानों को बड़ी सुविधा दी। किसी भी समस्या के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 1800-233-3663 उपलब्ध है।

जनजातीय गौरव दिवस पर बस्तर में उत्सव बिलासपुर को मिली 329 करोड़ की सौगात

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर में विशाल कार्यक्रमों के साथ विकास कार्यों की सौगात दी

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस का छत्तीसगढ़ में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जगदलपुर पहुंचे, जहां सिटी ग्राउंड में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय समाज के विभिन्न समुदायों ने पारंपरिक सिहाड़ी माला, साफा और विशाल गजमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। जगदलपुर के बाद मुख्यमंत्री अपने बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहाँ पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों की सौगात दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मां दंतेश्वरी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास, सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण और आजीविका संवर्धन के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

बिलासपुर को दी 329 करोड़ 77 लाख रुपए की विकास सौगात

329 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। इनमें 42 कार्यों का शिलान्यास (309 करोड़ 95 लाख रुपए), 5 कार्यों का लोकार्पण (19 करोड़ 18 लाख रुपए) शामिल है। मुख्यमंत्री ने कोनी में 11 करोड़ 91 लाख 17 हजार रुपए की लागत से निर्मित संभागीय आयुक्त कार्यालय का लोकार्पण किया।

राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण

- मुख्यमंत्री श्री ने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान रघुराज स्टेडियम में गोंड राजा रघुराज सिंह जगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। राजा रघुराज सिंह ने वर्ष 1958 में बिलासपुर शहर के मध्य स्थित लगभग पाँच एकड़ भूमि खेलों के विकास के लिए दान की थी, जिस पर यह ऐतिहासिक स्टेडियम निर्मित है और जिसने कई रणजी मैचों की मेजबानी की है। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। नगर निगम क्षेत्र में सड़क, पोर्च, इंटरलॉकिंग, चैनल फेंसिंग जैसे कई कार्यों के साथ महमंद में प्राथमिक शाला लालखदान में नए कक्ष का उद्घाटन भी किया गया।

कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बल

- 69 करोड़ 79 लाख 94 हजार रुपए : सिरगिट्टी–सरवानी–पासीद–अमलडीहा–बरतोरी–दगोरी मार्ग
- 59 करोड़ 55 लाख 27 हजार रुपए : कोनी–मोपका बायपास मार्ग
- 32 करोड़ 9 लाख 15 हजार रुपए : नेहरू चौक–दर्रीघाट मार्ग
- 6 करोड़ 70 लाख 58 हजार रुपए : सीपत नवाडीह चौक–दर्रभाठा–लीलागर पुल मार्ग

पीएम ने की सीएम की सराहना

- डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज की बढ़ती भागीदारी और राज्य में हो रहे व्यापक विकास को सराहनीय बताया।

एकलव्य आवासीय विद्यालय

राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश में दूसरा स्थान

ओडिशा के सुंदरगढ़ में 11 से 15 नवम्बर तक आयोजित चौथी राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में द्वितीय स्थान हासिल किया। 516 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 162 पदक 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने टीम को बधाई दी।

सुरक्षित जल भविष्य: राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शानदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे जनभागीदारी की जीत बताया

छत्तीसगढ़ के 12 जिलों को जल संरक्षण में राष्ट्रीय सम्मान

छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में देशभर में अलग पहचान बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जनभागीदारी 1.0 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राज्य के 12 जिलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयासों ने जल संरक्षण को नई दिशा दी है।

रायपुर ने रचा नया कीर्तिमान

- रायपुर जिले ने जल संरक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है।
- नगर निगम द्वारा 33,082 कार्य
- जिला प्रशासन द्वारा 36,282 कार्य
- पूर्वी जोन कैटेगरी-01 में भी जिला तीसरे स्थान पर रहा।

बालोद का शानदार प्रदर्शन

- केटेगरी-01 में पहला स्थान, 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि
- बालोद जिले ने जल संरक्षण की दिशा में रिकॉर्ड बनाते हुए देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया।
- कुल 92,742 नई जल संरचनाएँ

राजनांदगांव दूसरे स्थान पर

- जनभागीदारी से 58,967 संरचनाएँ, 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि
- राजनांदगांव ने केटेगरी-01 में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए शानदार प्रदर्शन किया।
- 58,967 जल संरक्षण कार्य जनता की सहभागिता से पूरे किए गए।

शेष पेज 03 पर

पिक ऑफ द वीक

पंडुम कैफे: नई शुरुआत का प्रतीक

जगदलपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 'पंडुम कैफे' का शुभारंभ करते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों से आत्मीय मुलाकात करते नजर आए। हिंसा का मार्ग छोड़ शांति की राह चुनने वाले युवाओं के साथ संवाद कर सीएम ने उनका हौसला बढ़ाया। पुनर्वास की इस पहल ने कई नक्सलियों को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा अंधेरे से निकलकर अब जीवन में शांति, सम्मान और नई शुरुआत का उजाला मिला है।

प्रसार भारती में 400 पदों पर भर्ती, आवेदन 6 दिसंबर तक

प्रसार भारती ने कॉपी एडिटर और समाचार वाचक के 400 से अधिक अनियमित (कैजुअल) आधार पर पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र 6 दिसंबर 2025 तक डाक के माध्यम से भेजना होगा। समाचार वाचक के लिए भाषागत पकड़, स्पष्ट उच्चारण और कैमरा-हितैषी व्यक्तित्व आवश्यक है। कॉपी एडिटर के लिए स्नातक के साथ पत्रकारिता/जनसंचार में डिग्री या पीजी डिप्लोमा तथा तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

KVS–NVS में 14,967 पदों पर भर्ती, आवेदन 4 दिसंबर तक

सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर सहित 14,967 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT और नॉन-टीचिंग सहित कई पद शामिल हैं। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू शामिल होंगे। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in, navo-daya.gov.in, www.cbse.gov.in पर ऑनलाइन किए जाएंगे।

मंत्रिपरिषद की बैठक
कृषि, आवास और खेल को नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट की बड़ी पहल, आम जनता तक सीधे लाभ पहुँचाने वाले फैसले

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा प्रभाव किसानों, आवास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और खेल क्षेत्र पर पड़ने वाला है।

दलहन–तिलहन उपार्जन से संबंधित निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन पूर्व वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत करने का निर्णय लिया।
- PSS के अंतर्गत खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है।
- रबी मौसम में चना, सरसों

और मसूर का MSP पर उपार्जन किया जाता है।

प्रशासनिक सुधार से संबंधित निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग का विलय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में किया गया।
- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

धान खरीदी संबंधी वित्तीय निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वैधीकृत किया गया।
- इसके साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।

आवास योजनाओं के नियम संशोधन

- दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर सीएम आवास योजना में नियमों में संशोधन कर अविक्रित भवनों की बिक्री की अनुमति।
- 3 बार विज्ञापन के बाद EWS/LIG के अविक्रित भवन अब किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे (अनुदान नहीं मिलेगा)।
- अविक्रित भवनों को Bulk Purchase के रूप में एकल व्यक्ति या संस्था को बेचा जा सकेगा (अनुदान नहीं मिलेगा)।

क्रिकेट स्टेडियम लीज निर्णय

- शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर दिया जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आवेदन 1 दिसंबर तक

बैंक ऑफ बड़ौदा ने देशभर में 2700 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट bankof-baroda.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा परीक्षण शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।

CG TET 2026: 8 दिसंबर तक भरे जाएंगे फार्म

व्यापमं ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 8 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। परीक्षा 1 दिसंबर 2026 को दो पालियों में होगी। पहली से पाँचवीं तक सुबह 9:30 से 12:15 बजे और छठीं से आठवीं तक दोपहर 3 से 5:45 बजे तक। प्रवेश पत्र 23 जनवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा प्रदेश के 20 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगी, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा सहित अन्य जिले शामिल हैं।

SRLM 'बिहान' में 8 दिसंबर तक संविदा भर्ती के लिए आवेदन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के तहत बस्तर जिले में कुल 6 संविदा पदों पर भर्ती के लिए 8 दिसंबर 2025 तक आवेदन मंगाए गए हैं। इनमें परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल और लेखा सह एमआईएस सहायक शामिल हैं। योग्यता पदानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर और कंप्यूटर डिप्लोमा निर्धारित है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रहेगी, साथ ही नियम अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से जिला पंचायत बस्तर को भेजना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 309 पदों पर भर्ती, आवेदन 1 दिसंबर तक

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट सहित कुल 309 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और पदानुसार 3–5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 35 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया मेरिट आधारित होगी और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 85,920 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।

जॉब अलर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
पद: असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए
पद संख्या: 110
अंतिम तिथि: 28 नवंबर
www.sebi.gov.in

रेल्वे भर्ती बोर्ड
पद: जूनियर इंजीनियर
पद संख्या: 2570
अंतिम तिथि: 30 नवंबर
www.rrbapply. gov. in

NABARD
पद: असिस्टेंट मैनेजर
पद संख्या: 92
अंतिम तिथि: 30 नवंबर
www.nabard.org

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन
पद: नॉन-टीचिंग
पद संख्या: 8477
अंतिम तिथि: 3 दिसंबर
westbengalssc.com

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
पद: वार्डर
पद संख्या: 1733
अंतिम तिथि: 8 दिसंबर
jssc.jharkhand.gov.in

UP शिक्षा निदेशालय
पद: जूनियर एडेड टीचर
पद संख्या: 1894
अंतिम तिथि: 5 दिसंबर
basiceducation.up.gov.in

JSSC
पद: जेल वार्डर
पद संख्या: 1733
अंतिम तिथि: 8 दिसंबर
jssc.jharkhand.gov.in

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

"दीदी के गोठ" के चौथे एपिसोड का प्रसारण, महिलाओं ने सराहा प्रेरक संवाद

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत "दीदी के गोठ" रेडियो कार्यक्रम का चौथा एपिसोड पूरे प्रदेश में प्रसारित हुआ, जिसे हजारों स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने सुना। एपिसोड में नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी और पशु सखी की प्रेरक सफलता कहानियाँ साझा की गईं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की नई दिशा दिखाई। कार्यक्रम में बताया गया कि ये महिलाएँ आधुनिक तकनीक अपनाकर कृषि व पशुपालन क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं। यह प्रसारण हर माह के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे आकाशवाणी से किया जाता है।

मुख्यमंत्री साय की बैठक में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से लगभग 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी और प्रदेश में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने भारत के सबसे ऊँचे 140 फीट बैम्बू टावर पर किया ध्वजारोहण

बेमेतरा के ग्राम कठिया में आयोजित "छत्तीसगढ़ बाँस तीर्थ संकल्पना समारोह" में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत के सबसे ऊँचे 140 फीट बैम्बू टावर पर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और मंत्री श्री दयालदास बघेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टावर छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल और नवाचार का प्रतीक है। उन्होंने बाँस आधारित उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए बाँस उत्पाद इकाइयों का अवलोकन किया और कारीगरों से संवाद कर उनके काम की सराहना की।

बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय सम्मान और विकास का बड़ा संदेश

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल हुए, जिन्होंने 126 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया और समाज प्रमुखों व प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात से वर्चुअली जुड़े। मंत्री नेताम ने आदिवासी परंपरा, संस्कृति और शहादत को सलाम करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा की विरासत जनजातीय समुदाय की प्रेरणा है।

अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में चैम्पियन बना छत्तीसगढ़

देहरादून में आयोजित 28वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य ने 150 मेडल और 578 अंकों के साथ लगातार दूसरे वर्ष चैंपियनशिप अपने नाम की, वहीं ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी लगातार 13वीं बार जीतकर नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को राज्य के गौरव का क्षण बताते हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

जनजातीय गौरव दिवसः पीएम मोदी वर्चुअल जुड़े

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सरगुजा में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन गरिमामयी रूप से सम्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आदिवासी समाज के त्याग और योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस उनकी विरासत के सम्मान का प्रतीक है।

स्वदेशी मेला हमारी अस्मिता और आत्मसम्मान का उत्सवः मुख्यमंत्री साय

बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सात दिवसीय स्वदेशी मेला का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अवलोकन किया। उन्होंने कारीगरों, स्व-सहायता समूहों और युवा उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि स्वदेशी मेला स्थानीय प्रतिभा, परंपरा और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है। मेले में 300 से अधिक स्टॉलों में कोसा, ढोकरा, बेलमेटल, हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों ने आकर्षण खींचा।।

पेंशनर किसी भी बैंक में जमा कर सकेंगे DLC

राज्य शासन ने पेंशनरों की सुविधा के लिए नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) जमा करने का विशेष अभियान शुरू किया है। अब पेंशनर किसी भी बैंक में जाकर या Jeevan Pramaan ऐप व वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय ने सभी बैंकों को समय पर अधिकतम DLC प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिशन 4.0" के तहत शहरों में विशेष कैम्प भी आयोजित हो रहे हैं।

प्रथम पेज का शेष..

महासमुंद का उत्कृष्ट योगदान
- कैटेगरी-02 में प्रथम स्थान
- 35,182 जल संरचनाओं के निर्माण

बलौदाबाजार दूसरे स्थान पर
- 1 करोड़ पुरस्कार रुपए, 30,927 संरचनाएँ
- जल संचय के लिए 30,927 कार्य

गरियाबंद तीसरे स्थान पर
- जल संरक्षण के 26,025 कार्य
- केटेगरी-02 में तीसरा स्थान प्राप्त।
- 26,025 संरचनाएँ
- 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि

राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा
- बिलासपुर कैटेगरी-03 में प्रथम स्थान, 21,058 संरचनाएँ
- रायगढ़ देश में दूसरे स्थान पर, 19,088 संरचनाएँ, 25 लाख रुपए पुरस्कार
- रायगढ़ जिले ने केटेगरी-03 में दूसरा स्थान, 19,088 कार्य
- बलरामपुर 6वां स्थान, 8644 परियोजनाएँ, प्रोत्साहन राशि 25 लाख
- धमतरी 8वां स्थान, 7674 परियोजनाएँ, प्रोत्साहन राशि 25 लाख
- सूरजपुर 12वां स्थान, 5797 परियोजनाएँ, प्रोत्साहन राशि 25 लाख
- दुर्ग 16वां स्थान, 5010 परियोजनाएँ, प्रोत्साहन राशि 25 लाख रुपए

राष्ट्रीय

गुजरात में देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू

गुजरात सरकार ने देश की पहली "आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में रोगों की प्रारंभिक पहचान और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना है। यह परियोजना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लागू की जा रही है और राज्य बजट 2025–26 में स्वीकृत है। पहले चरण में 17 जिलों के 2,000 आदिवासी व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण किया जाएगा। सिकल सेल, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक संकेतकों की पहचान की जाएगी। परियोजना आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को आदिवासी समुदायों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

केरलः लुप्त हो रही लोककथाओं और गीतों का सबसे बड़ा आर्काइव

केरल में लुप्त हो रही लोककथाओं और गीतों को बचाने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लोकगीतों को स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड करके भेज सकता है। दो वर्षों में 1,800 से अधिक लोककथाएँ और गीत जुटाए गए हैं। यह अब केरल की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा ओपन-एक्सेस वीडियो आर्काइव बन चुका है।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की 4 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ टॉप

छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित उद्योग संगम में राज्य को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) की चारों श्रेणियों में टॉप अचीवर घोषित किया गया। राज्य ने अब तक 434 सुधार लागू किए हैं, जिनमें जन विश्वास अधिनियम सबसे बड़ा कदम रहा, जिसके तहत छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इससे उद्योग जगत और सरकार के बीच भरोसा मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने निचले पायदान से उठकर अग्रणी औद्योगिक राज्यों में जगह बनाई है, और यह उपलब्धि निवेशकों के विश्वास तथा सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

ओपनएआईः दिल्ली में खोला भारत का पहला कार्यालय

एआई कंपनी ओपनएआई ने दिल्ली में 50-सीटर ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। यह कंपनी का भारत में पहला कार्यालय होगा। ओपनएआई ने इस साल अगस्त में भारत में कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। कंपनी ने अपने कार्यालय के लिए दिल्ली के नरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 42,000 वर्गफुट का स्पेस लिया है।

कोवलम सी-बीच को पाँचवीं बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला

तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित प्रसिद्ध कोवलम सी-बीच को लगातार पाँचवीं बार अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। यह प्रमाणन वर्ष 2025–26 के लिए दिया गया है। यह सम्मान समुद्र तटों पर उच्च पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य के पर्यावरण मंत्री थंगम तेनारासु ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया। इसके साथ ही 10 अन्य समुद्र तटों को भी अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन के लिए चुना गया है।

यूआईडीएआई का नया आधार एप लॉन्च, अब सिर्फ जरूरी डेटा ही शेयर होगा

यूआईडीएआई ने नया 'आधार' एप लॉन्च किया है, जो उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। यह पूरी तरह पेपरलेस है और अब फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। एप में फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक लॉक और क्यूआर आधारित डेटा शेयरिंग जैसे फीचर शामिल हैं। उपयोगकर्ता तय कर सकेगा कि कौन सी जानकारी साझा करनी है और कौन सी मास्क रखनी है। नया एप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रोजमर्रा की आईडी वेरिफिकेशन में उपयोगी रहेगा, जबकि पुराना mAadhaar डॉक्यूमेंट डाउनलोड और अपडेट के लिए काम करता रहेगा।

असम में नया सैन्य अड्डा बढ़ाएगा भारतीय सेना की ताकत

असम के धुबरी के बामुनीगांव में भारतीय सेना द्वारा लाचित बोरफुकन सैन्य अड्डा स्थापित किया जा रहा है। यह बांग्लादेश सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित होगा। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि तेजपुर स्थित 4 कोर के अंतर्गत नए सैन्य स्टेशन में 1,200-1,500 कर्मियों के रहने की व्यवस्था होगी। वहां एक पैरा-कमांडो यूनिट भी तैनात की जाएगी। पूर्वी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने इसकी आधारशिला रखी थी।

एनसीआरटीसी का नया प्रयोग-सोलर आन ट्रैक

एनसीआरटीसी ने रेल पटरी में ही सौर ऊर्जा पैनल लगा दिए हैं। यह प्रयोग दुहाई डिपो में किया गया है। यहां ट्रेन के खड़े होने व मरम्मत आदि के लिए पटरी है। एनसीआरटीसी ने इसे सोलर आन ट्रैक नाम दिया है। यहां लगभग 70 मीटर लंबी पटरी पर 550 वाट पीक के 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी कुल संयंत्र क्षमता 15.4 किलोवाट पीक है। इससे प्रतिवर्ष अनुमानित 17,500 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 16 टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आना संभव है।

ओडिशा के दो समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन

ओडिशा के सुनापुर और पुरी गोल्डन बीच को 2025-26 के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। सुनापुर को लगातार तीसरी बार और पुरी को सातवीं बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) यह प्रमाणन जल गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के 33 मानकों के आधार पर देती है। भारत के कुल 13 समुद्र तट इस सूची में शामिल हैं, जिनमें से ओडिशा के दोनों बीचों को पूर्ण सर्टिफिकेशन मिला है। सुनापुर और पुरी में कचरा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइफगार्ड, व्हीलचेयर-अनुकूल मार्ग जैसी सुविधाओं को विशेष सराहना मिली है।

यूपीएससी 2025ः मेंस में 2,736 उम्मीदवार सफल

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयोजित मेंस में 2,736 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस भर्ती के जरिए कुल 979 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। मेंस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया गया था। अब इंटरव्यू का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय

इंडोनेशिया में पूर्व तानाशाह सुहार्तो राष्ट्रीय नायक घोषित

इंडोनेशिया ने पूर्व तानाशाह सुहार्तो को राष्ट्रीय नायक घोषित किया, जिससे मानवाधिकार समूहों में रोष फैल गया है। संगठनों ने कहा कि यह कदम सुहार्तो के 32 साल के शासनकाल के दौरान हुए मानवाधिकार हनन और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास है। सुहार्तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के सहयोगी थे, जिन्होंने दशकों तक सत्तावादी शासन चलाया। इस दौरान 10 लाख हत्याएँ की गईं और 1998 में व्यापक विरोध के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया।

शेखा नासिर अल नौवैस बनीं यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र पर्यटन एजेंसी में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए शेखा नासिर अल नौवैस को संगठन की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति स्पेन के सेगोविया में आयोजित 123वें यूएन टूरिज़्म कार्यकारी परिषद सत्र में पुष्टि हुई, जिसे जल्द ही संयुक्त राष्ट्र महासभा औपचारिक मंजूरी देगा। वह जनवरी 2026 से चार वर्ष का कार्यकाल संभालेंगी। अल नौवैस के नेतृत्व को वैश्विक पर्यटन में सतत विकास, डिजिटल नवाचार, महिला-सशक्तिकरण और जिम्मेदार पर्यटन को गति देने वाले नए युग के रूप में देखा जा रहा है।

कॉप-30 अध्यक्ष ने भारत और चीन की स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की सराहना

कॉप-30 के अध्यक्ष आंद्रे कोरेया डो लागो ने भारत और चीन को वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण में अग्रणी बताते हुए उनकी स्वच्छ और प्रभावी जलवायु कार्रवाई की प्रशंसा की। ब्राजील के बेलेम में कॉप-30 शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अक्षय ऊर्जा तकनीक की लागत कम कर दुनिया को तेज़ी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद की है। चीन के बड़े पैमाने और तकनीकी दक्षता के साथ भारत की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और उद्योग क्षमता ने ई-व्हीकल, सोलर, पवन और बैटरी उत्पादन में नई दिशा दी है। दोनों देश भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को आकार दे रहे हैं।

भारतीय मूल के सिंह स्वर्णजीत ने नार्विच शहर के पहले सिख मेयर बने

भारतीय मूल के डेमोक्रेट व्यवसायी सिंह स्वर्णजीत कनेक्टिकट के नार्विच शहर के मेयर चुने गए हैं। इस तरह वे राज्य के इतिहास में पहले सिख मेयर बन गए हैं। स्वर्णजीत को 3,978 वोट (57.25 प्रतिशत) मिले, जबकि रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी स्टेसी गोल्ड को 2,828 वोट (40.7 प्रतिशत) मिले। स्वर्णजीत ने नार्विच को एक ऐसा शहर बताया जिसने उनके परिवार को खुले दिल से गले लगाया है।

तिब्बत में मिला सबसे पुराना अंगूर का पौधा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

तिब्बत के पहाड़ों में एक जंगली अंगूर का पौधा मिला है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे पुराना अंगूर का पौधा घोषित किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र 416 वर्ष आंकी गई है। यह पौधा जोगांग काउंटी के जुओबा गांव में मिला था। इसे चांगदू शहर के पास पुराने और दुर्लभ पेड़ों की खोज के दौरान पाया गया। चीन के दक्षिण-पश्चिम वन विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लकड़ी के छल्लों के विश्लेषण से इसकी उम्र निर्धारित की। यह पौधा लगभग 26 फीट ऊँचा है।

यूएन जल अभिसमय से जुड़ने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश

बांग्लादेश ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय को स्वीकार कर दक्षिण एशिया में पहला सदस्य देश बनने का गौरव हासिल किया है। यह कदम सीमा पार जल प्रबंधन को बहुपक्षीय ढांचे में लाने की उसकी रणनीतिक दिशा को दर्शाता है। 1992 में अपनाए गए इस अभिसमय का उद्देश्य साझा नदियों और झीलों के न्यायसंगत व सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत के साथ 54 नदियाँ साझा करने वाला बांग्लादेश अब वैश्विक जल शासन, सहयोगी तंत्र और विवाद निवारण मंचों का लाभ उठा सकेगा। भारत अभी भी द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देता है और इस संधि का हिस्सा नहीं है।

भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ली शपथ

भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कार्यभार संभालते हुए आशावाद व्यक्त किया और इस अवसर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में, गोर ने कहा कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं और आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

मालाबार में भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी

भारत, जापान और अमेरिका के साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार समुद्री अभ्यास में शामिल हो गया है। यह प्रमुख नौसैनिक अभ्यास हिंद–प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाता है। यह अभ्यास क्षेत्रीय साझेदार देशों के बीच अंतर-कार्यसंचालन क्षमता को बढ़ाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह अभ्यास हमारी साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने, सामूहिक क्षमताओं का समन्वय करने और हिंद–प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

यूनेस्को के MAB परिषद में चुना गया ओमान

ओमान को यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए 2025–2029 की अवधि हेतु चुना गया है। यह चयन पर्यावरणीय शासन, सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में ओमान की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि ओमान विज़न 2040 और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप देश के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को और सशक्त बनाती है।

भारत को अब बोत्सवाना से आठ चीते मिलेंगे

बोत्सवाना ने आठ चीते भारत भेजने की योजना की घोषणा की है। यह ऐलान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अफ़्रीकी दौरे के दौरान हुआ। राष्ट्रपति तीन दिवसीय राजकीय दौरे पर बोत्सवाना गईं और उसी दौरान यह घोषणा हुई।

खेल / कला

टेनिसः ज्वेरेव की एटीपी फाइनल्स में 18वीं जीत; टेलर फ्रिट्ज भी जीते

जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने एटीपी फाइनल्स में अमेरिका के बेन शेल्टन को लगातार सेटों में हराया। तीसरी सीड ज्वेरेव ने पाँचवीं सीड शेल्टन को 6-3, 7-6 से मात दी। यह दोनों के बीच पाँचवाँ मुकाबला था और जर्मन खिलाड़ी ने पाँचवीं जीत दर्ज की। यह ज्वेरेव की इस टूर्नामेंट में 18वीं जीत रही। इसी बीच, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने इटली के लॉरेंज़ो मुसेट्टी को 6-3, 6-4 से हराया।

सिलीगुड़ी में ऋचा घोष के नाम पर बनेगा स्टेडियम

सिलीगुड़ी में वर्ल्ड कप विजेता ऋचा घोष के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। सिलीगुड़ी ऋचा का गृहनगर है। 22 साल की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 24 गेंदों पर 34 रन बनाए।

ला लिगाः लेवांडोव्स्की की बार्सिलोना के लिए चौथी हैट्रिक, टीम 4-2 से जीती

स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने ला लिगा में सेल्टा विगो को 4-2 से हराया। बार्सिलोना के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने हैट्रिक बनाई, जबकि एक गोल लामिन यमाल ने किया। यह लेवांडोव्स्की की बार्सिलोना की ओर से चौथी हैट्रिक रही। उन्होंने 10वें मिनट में पेनल्टी पर, 37वें मिनट में और 73वें मिनट में गोल किए। यह बार्सिलोना की 12 मैचों में नौवीं जीत है और टीम 28 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। रियल मैड्रिड (31) शीर्ष पर है।

भारत की पुरुष व महिला टीमें एशियन आर्चरी के फाइनल में, दो मेडल पक्के

एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप में भारत के दो मेडल पक्के हो गए हैं। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने कज़ाख़स्तान को 5-3 से और महिला कंपाउंड टीम ने बांग्लादेश को 234-227 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम में ज्योति सुरेखा वेण्णम, प्रिथिका प्रदीप और दीप्तिशिखा शामिल हैं। वहीं, पुरुष टीम में अतानु दास, राहुल और यशदीप भोगे हैं। दोनों टीमें अब फाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ेंगी।

शूटिंगः वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सम्राट को गोल्ड; मनु, एशा, सुरुचि को सिल्वर

शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 243.7 अंक बनाकर चीन के हु काई को पीछे छोड़ा। भारत के ही वरुण तोमर ने 221.7 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं, महिला वर्ग के टीम इवेंट में मनु भाकर, सुरचि इंदर और एशा सिंह ने 1740 अंक बनाकर सिल्वर जीता।

ट्रॉफी यात्रा और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के शुभंकर का अनावरण

आगामी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए तमिलनाडु में होने वाली ट्रॉफी यात्रा और आधिकारिक शुभंकर का अनावरण मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। ट्रॉफी यात्रा को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और एफआईएच अध्यक्ष दातो तैय्यब इकराम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। ट्रॉफी यात्रा 10 से 25 नवंबर के बीच कन्याकुमारी से चेन्नई तक तमिलनाडु के 38 जिलों से होकर गुजरेगी। इस मौके पर विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर 'कांगेयम' का अनावरण भी किया गया।

नौ वर्षीय अर्शी बनीं राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन

फरीदाबाद की नौ वर्षीय अर्शी गुप्ता ने राष्ट्रीय कार्टिंग चैम्पियनशिप का ख़िताब जीतने वाली पहली महिला रेसर बनकर इतिहास रच दिया है। लड़कों और लड़कियों के मिश्रित ग्रिड में माइक्रो मैक्स वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा अर्शी ने बेंगलुरु के मेको कार्टोपिया सर्किट में 2025 एफएमएससीआई इंडियन रोटैक्स मैक्स नेशनल कार्टिंग चैम्पियनशिप जीती। अर्शी लीपफ्रॉग रेसिंग के तहत रेसिंग करती हैं और उन्होंने प्रतिस्पर्धी रेसिंग के अपने दूसरे वर्ष में ही यह असाधारण उपलब्धि हासिल की है। सीज़न की शुरुआत में उन्होंने 31 अगस्त को इरुंगट्टुकोट्टई स्थित मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरिना में राउंड-3 जीतकर मोटरस्पोर्ट जगत को चौंका दिया था।

10 साल की अतिका ने पोल पोजीशन से रचा इतिहास

जम्मू-कश्मीर की 10 साल की रेसर अतिका मीर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फॉर्मूला-1 समर्थित चैम्पियंस ऑफ द फ्यूचर एकेडमी यूएई सीरीज के पहले राउंड की क्वालिफाइंग में सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज कर पोल पोजीशन हासिल की और फाइनल में तीसरा स्थान लेकर पोडियम पर जगह बनाई। अतिका यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली लड़की बनीं, जिन्होंने सीओटीएफए मिनी क्लास में पोल पोजीशन ली। पिछले महीने अतिका को इस सीरीज़ के दो राउंड के लिए चुना गया था। उनके पिता आसिफ मीर भी भारत के पहले राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन हैं।

महाकुम्भ पर बना एल्बम ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकन प्राप्त

महाकुम्भ से प्रेरित आध्यात्मिक एल्बम 'साउंड्स ऑफ़ कुंभ' को 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है। यूपी सरकार की ओर से शुरू किए गए 12-ट्रैक वाले इस प्रोजेक्ट में 50 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य प्रयागराज महाकुम्भ के आध्यात्मिक अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना है।

2025 बुकर प्राइजः डेविड सजाले को 'Flesh' के लिए मिला शीर्ष सम्मान

हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक डेविड सजाले को उनके उपन्यास 'Flesh' के लिए वर्ष 2025 का बुकर प्राइज प्रदान किया गया। पिछले वर्ष की विजेता सामंथा हार्वी ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सौंपा। सजाले यह सम्मान जीतने वाले पहले हंगेरियन मूल के लेखक बने हैं। उनके उपन्यास 'Flesh' को उसकी गहन भावनात्मक अभिव्यक्ति, अनूठी कथा शैली और साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 05/2025/परीक्षा/दिनांक 17/11/2025

::विज्ञापन::

सहायक प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/12/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/12/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **चिकित्सा शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक, विभिन्न विषयों** पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	सहायक प्राध्यापक											
1	**एनाटॉमी**	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
	बैकलॉग	-	1	1	1	-	-	-	-		3	
2	**फिजियोलॉजी**	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	
	बैकलॉग	-	-	1	1	-	-	-	-		2	
3	**बायोकेमेस्ट्री**	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	बैकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-		2	
4	**फार्माकोलॉजी**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	-	2	1	-	-	-	-		3	

क्रमशः

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5	माईक्रोबायोलॉजी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
6	पैथोलॉजी/ब्लड बैंक	3	1	3	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	7	
7	कम्युनिटी मेडिसिन	1	1	1	1	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	1	1	-	-	-	-	-		2	
8	फोरेंसिक मेडिसिन	4	-	1	1	1	-	-	-	-	6	
9	मेडिसिन	1	-	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	2	
	बैकलॉग	-	2	3	-	-	-	-	-		5	
10	सर्जरी	1	1	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	3	
	बैकलॉग	-	1	-	2	-	-	-	-		3	
11	अस्थिरोग	2	1	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	-	1	1	-	-	-	-		2	
12	शिशुरोग	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	
	बैकलॉग	-	1	1	-	-	-	-	-		2	
13	रेडियोथेरेपी (रेडियेशन अंकोलॉजी)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	-	3	1	-	-	-	-		4	
14	रेडियोथेरेपी-मेडिकल अंकोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
15	रेडियोथेरेपी-निश्चेतना	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
16	रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
17	एपियोडर्मियोलॉजिस्ट बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
18	कार्डियोलॉजी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
19	कार्डियोलॉजी-रेडियोलॉजिस्ट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
20	कार्डियोलॉजी-मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
21	कार्डियोवेस्कुलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
22	थोरेसिक सर्जरी-क्रिटिकल केयर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
23	थोरेसिक सर्जरी-जनरल मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
24	थोरेसिक सर्जरी-शिशुरोग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25	क्रिटिकल केयर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26	थोरेसिक सर्जरी-कार्डियेक निश्चेतना	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
27	ट्रामा यूनिट-सर्जरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
28	नेत्ररोग	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
29	ई.एन.टी.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
30	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	-	-	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	1	
	बैकलॉग	-	1	-	3	-	-	-	-		4	
31	रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी)	3	-	1	1	-	-	-	-	1 (OA/OL)	5	
	बैकलॉग	-	1	3	1	-	-	-	-		5	
32	चर्म एवं रतिज रोग	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
33	निश्चेतना	2	2	-	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
34	मनोरोग	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
35	टीबी एण्ड चेस्ट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
	कुल योग	45	21	43	16						125	

Abbreviations used : OA=One Arm, OL=One Leg

क्रमशः

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA/OL) हीं मान्य होंगे। OA/OL श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।
5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय)

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) **वेतन मेट्रिक्स :-** वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल-18 A

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(A) ESSENTIAL ACADEMIC QUALIFICATIONS:-

As per National Medical Commission, New Delhi, Notification and "In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations."

(i) Academic Qualifications for Faculty in Medical Broad specialties, Surgical Broad specialties, Medical super Specialties & Surgical super specialties

Table A

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Academic qualifications during transition period*
1.	Anatomy	M.D./M.S./DNB (Anatomy)/ MSc (Medical Anatomy) with PhD in Medical Anatomy	Not applicable
2.	Anaesthesiology	M.D./DNB (Anaesthesiology)	Not applicable
3.	Biochemistry	M.D./DNB (Biochemistry)/ MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry	Not applicable
4.	Community Medicine	M.D./DNB (Community Medicine)/ M.D. (Community Health Administration)	Not applicable

क्रमशः

5.	Dermatology, Venereology and Leprosy	M.D./DNB (Dermatology, Venereology and Leprosy)	Not applicable
6.	Forensic Medicine and Toxicology	M.D./DNB (Forensic Medicine and Toxicology)	Not applicable
7.	Medicine	M.D./DNB – Medicine (General Medicine)	Not applicable
8.	Master of Public Health (Epidemiology)	MPH - Master of Public Health in (Epidemiology)	M.D./DNB (Community Medicine)
9.	Microbiology	M.D./DNB (Microbiology)/ MSc (Medical Microbiology) with PhD in Medical Microbiology	Not applicable
10.	Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
11.	Pathology/Blood Bank	M.D./DNB (Pathology)	Not applicable
12.	Pharmacology	M.D./DNB (Pharmacology)/ MSc (Medical Pharmacology) with PhD in Medical Pharmacology	Not applicable
13.	Physiology	M.D./DNB (Physiology)/ MSc (Medical Physiology) with PhD in Medical Physiology	Not applicable
14.	Psychiatry	M.D./DNB (Psychiatry)	Not applicable
15.	Radiotherapy (Radiation oncology)	M.D./DNB - Radiotherapy (Radiation oncology)	Not applicable
16.	Radio-Diagnosis (Radiology)	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
17.	TB & Chest (Respiratory Medicine)	M.D./DNB (Respiratory Medicine)	Not applicable
18.	Cardiology - Radiologist	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
19.	Cardiology - Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
20.	Thoracic surgery - General Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
21.	Radiotherapy - Anaesthesia	M.D./DNB (Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
22.	Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
23.	Obstetrics and Gynaecology	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology)	Not Applicable
24.	Ophthalmology	M.S./M.D./DNB (Ophthalmology)	Not Applicable
25.	Orthopaedics	M.S./DNB (Orthopaedics)	Not Applicable
26.	Otorhinolaryngology/E.N.T.	M.S./DNB (Otorhinolaryngology)	Not Applicable
27.	Trauma Unit – Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
28	Thoracic Surgery - Cardiac Anaesthesia	D.M./DNB/DrNB (Cardiac Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
29	Cardiology	D.M./DNB/DrNB (Cardiology)	Not Applicable
30	Critical Care (Critical Care Medicine)	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)
31	Radiotherapy (Medical Oncology)	D.M./DNB/DrNB Medical Oncology	M.D./DNB (General Medicine)/ M.D./DNB (Paediatrics)/ M.D./DNB (Radiation Oncology)

क्रमशः

32	Thoracic surgery- Critical care	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)/
33	Thoracic surgery – Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
34	Radiotherapy - Surgical Oncology	M.Ch./DNB/DrNB (Surgical Oncology)	Not applicable
35	CTVS	M.Ch./DNB/DrNB (CTVS)	Not Applicable
*While considering Academic Qualification during transition period, clause no. 12 of NMC Notification dated 30.06.2025 is to be referred.			

(ii) Experience, Research and other Requirements

{Doctor of Medicine (M.D.) and Master of Surgery (M.S.)}

Table B

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching Experience, Research and other Requirements
1.	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	**a)** One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical institution specified as per NMC Norms. **Note 1.)** The experience gained by a Tutor/Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a postgraduate degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor. **Note 2.)** The Experience gained by a Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a master of Science and Doctor of Philosophy degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor; or **b)** Specialist Medical Officers of the Armed Forces having at least one year teaching experience or two years of clinical experience after obtaining the requisite postgraduate qualification in the concerned subject. **c)** a Non – teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or **d)** diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or **e)** diploma holders working as Specialists or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government Medical institution running National Board of Examination and Medical Science recognized teaching programme having cumulative experience of six years

(iii) Experience, Research and other Requirements

{Doctorate of Medicine (D.M.) and Master of Chirurgiae (M.Ch.)}

Table C

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
1	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	Have completed the Basic Course in Biomedical Research from recognized medical institution designated by the commission.

क्रमशः

(B) The candidate/applicant must have a live registration with the State Medical Council/Medical Council of India/National Medical Commission for the relevant specialty.

(अ) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना के अनुसार सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर) के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या 30% तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपर्युक्त गैर-चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग (कम्युनिटी मेडिसिन) में सांख्यिकीविद (Statistician) के पास चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियमों में आवश्यकताओं के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए।

(i) **मेडिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एवं सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटी संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यताएं :-**

तालिका अ

स. क्र.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता*
1.	एनाटॉमी	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (एनाटॉमी)/ एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पीएचडी	लागू नहीं
2.	एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	एम.डी./डीएनबी एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	लागू नहीं
3.	बायोकेमिस्ट्री	एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)/ एमएससी (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी	लागू नहीं
4.	कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)/एम.डी. (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	लागू नहीं
5.	चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	एम.डी./डीएनबी चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	लागू नहीं
6.	फारेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी फारेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	लागू नहीं
7.	मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	लागू नहीं
8.	एपियोडेमियालाजिस्ट (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ – महामारी विज्ञान)	एमपीएच-एपियोडेमियालाजिस्ट (महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)
9.	माइक्रोबायोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी के साथ एमएससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी)	लागू नही
10.	शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
11.	पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	एम.डी./डीएनबी पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	लागू नहीं
12.	फार्माकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फार्माकोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ मेडिकल फार्माकोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
13.	फिजियोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फिजियोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
14.	मनोरोग (मनोचिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मनोरोग (मनोचिकित्सा)	लागू नहीं
15.	रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	लागू नहीं
16.	रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	लागू नहीं
17.	टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	लागू नहीं
18.	कार्डियोलॉजी - रेडियोलॉजीस्ट	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस	लागू नहीं

क्रमशः

		(रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	
19.	कार्डियोलॉजी – मेडिसिन	एम.डी./डीएनबी - मेडिसिन (सामान्य मेडिसिन)	लागू नहीं
20.	थोरेसिक सर्जरी – सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी - सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	लागू नहीं
21.	रेडियोथेरपी – निश्चेतना (एनेस्थिसिया)	एम.डी./डीएनबी निश्चेतना (एनेस्थिसियोलॉजी)	लागू नहीं
22.	सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	एम.एस./डीएनबी सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	लागू नहीं
23.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	लागू नहीं
24.	नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	एम.डी./एम.एस./डीएनबी नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	लागू नहीं
25.	अस्थि रोग (हड्डी रोग)	एम.एस./डीएनबी अस्थि रोग (हड्डी रोग)	लागू नहीं
26.	ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	एम.एस./डीएनबी ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	लागू नहीं
27.	ट्रामा यूनिट – सर्जरी	एम.एस./डीएनबी (सर्जरी)	लागू नहीं
28.	थोरेसिस सर्जरी – कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीसिया)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीयोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
29.	कार्डियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोलॉजी)	लागू नहीं
30.	क्रिटिकल केयर (क्रिटिकल केयर मेडिसन)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (आपातकालीन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी चिकित्सा)
31.	रेडियोथेरेपी – मेडिकल अंकोलॉजी (मेडिकल अंकोलॉजी)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी मेडिकल अंकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (विकिरण अंकोलॉजी)
32.	थोरेसिक सर्जरी - क्रिटिकल केयर	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन मेडिसिन)/ एम.डी./ डीएनबी (आपातकालीन मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी मेडिसिन)
33.	थोरेसिक सर्जरी – शिशुरोग	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
34.	रेडियोथेरेपी–सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	लागू नहीं
35.	कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी)	लागू नहीं

* संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता को विचारण क्षेत्र में लेते समय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 की कंडिका 12 को संदर्भ में लिया जाएगा।

(ii) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम. डी.) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) के लिए अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं

तालिका ब

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएँ
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	**(क)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** ट्यूटर/प्रदर्शक जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। **नोट 2:** डेमोंस्ट्रेटर (प्रदर्शक) जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगाः या

क्रमशः

			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। **(ग)** कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षो अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशिलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उनके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीबीआर) पूरा करना होगाःया **(घ)** वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता होःया **(ङ)** वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।

(iii) डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) और मास्टर ऑफ चिरूर्गिया (एम.सीएच.) के लिए अनुभव, शोध और अन्य आवश्यकताएं

तालिका स

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण एवं शोध अनुभव
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

(ब) अभ्यर्थी/आवेदक का संबंधित स्पेशियलिटी के राज्य मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

नोटः- **(क)** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विभिन्न स्पेशियलिटी में सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिकता शैक्षणिक योग्यता को दिया जावेगा, यदि शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) के साथ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तब कि स्थिति में उक्त स्थान पर संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) को मान्य किया जावेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार यदि कुछ स्पेशियलिटी में शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) तथा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) के एक-एक अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तब कि स्थिति में वरियता शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) वाले अभ्यर्थी को दिया जावेगा।

(3) **परिवीक्षा अवधिः-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) **निर्धारित आयु सीमाः-**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

क्रमशः

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) **आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।**

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र:-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

क्रमशः

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन:-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

क्रमशः

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हताः-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रियाः-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी।

(iii) लिखित परीक्षा आयोजन की स्थिति में परीक्षा केन्द्र रायपुर होगा।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य से स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हे परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ती के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(iii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों/विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद/विषय हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(19) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः

परिशिष्ट-एक

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

आर.ओ.184/जी-252604847/3

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in

क्रमांक/105/रा.यु.उ.यो./2025-26/9374 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025

वर्ष 2025-26 में राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रण हेतु सूचना

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (A) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कुल 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) के लिए नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराये जाने की योजना है। इसके अंतर्गत योजना नियमावली की कंडिका-4 अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है।

अतः ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थी, जो संघ लोक सेवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में रहकर करने के इच्छुक है। ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन-पत्र का आमंत्रण है। इस हेतु विवरण निम्नानुसार हैः

(1) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि - 20/11/2025, दिन गुरूवार

(2) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 10/12/2025, दिन बुधवार रात्रि 12.00 बजे तक

(3) प्राक्चयन परीक्षा आयोजित करने की तिथि - 28.12.2025, दिन रविवार

(4) ऑनलाईन आवेदन जमा करने हेतु वेबसाइट -www.tribal.cg.gov.in अथवा https://hmstribal.cg.nic.in

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से ऑनलाईन अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा- पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते है।

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश वर्ष 2025-26

(1) प्रशिक्षण की अवधि- कोचिंग की अवधि अधिकतम 10 माह की होगी। सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर वहन किया जायेगा। कोचिंग की अवधि अधिकतम 10 माह की होगी। सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(2) कोचिंग का स्थान- नई दिल्ली में विभाग द्वारा सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(3) योजनांतर्गत निर्धारित सीटे- कुल 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये सीट आरक्षित)।

(4) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो। जाति प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।
3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

(5) आयु 01.08.2025 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष।

(6) शैक्षणिक योग्यताः-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(7) आय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(10) आवेदन जमा करना- अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in -अथवा https://hmstribal.cg.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

(11) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप- प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 03 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा)

(12) चयन अभ्यर्थियों का चयनः- प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(13) आवेदन पत्रों का भरा जाना- आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।

(14) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(15) दस्तावेज, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड- दस्तावेज अधिकतम 120 Kb तथा PDF में होना चाहिए, फोटो अधिकतम 50 Kb तथा JPG में होना चाहिए, हस्ताक्षर अधिकतम 20 Kb तथा JPG में होना चाहिए।

(16) स्वघोषणा प्रमाण-पत्र स्वघोषणा पत्र डॉउनलोड कर 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे।

(17) विस्तृत विवरणः- योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

स्वघोषणा प्रमाण पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत किया जाए)

मैं........पिता का नाम..........आयु............वर्ग (ST/SC/OBC).........निवासी ग्राम........... पो०आ०................तहसील..............जिला............(छ०ग०)

शपथ पूर्वक स्वघोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख / प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं सत्य हैं, मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने अथवा किसी शासकीय/अशासकीय संस्था एवं कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेरे द्वारा कोचिंग बीच में ही छोड़े जाने की दशा में शासन द्वारा मेरे उपर किये गये सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा की जावेगी। अतः एतद् उपरोक्तानुसार स्वघोषणा करता/करती हूँ।

पालक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर................
नाम....................................
दिनांक..............................

आर.ओ.185/जी-252604786/3

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

दूरभाष कमांक 07747-299067, Email ID-mbvv.mahla@gmail.com

क्रमांक/1401/म.बा.वि./स्था./2025-26 मोहला, दिनांक 14/11/2025

//सूचना//

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड हेल्पलाईन, मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर एवं महिला सशक्तिकरण (HUB) में संविदा भर्ती हेतु जारी विज्ञापन विभिन्न स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

1/ छत्तीसगढ़ राज्य संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, अटल नगर नया रायपुर (मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई) का पत्र क्रमांक/760(सी)/4347/मबावि/मि.वा./2023-24 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23.07.2024 के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1358/ मबावि/ 2025-26 मोहला दिनांक 10.11.2025।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, अटल नगर नया रायपुर (मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन) का पत्र क्रमांक/10487/1070/मबावि/मि.वा./2024-25 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.11.2024 के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1359/मबावि/2025-26 मोहला दिनांक 10.11.2025।

3/ छत्तीसगढ़ राज्य संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, अटल नगर नया रायपुर (सखी वन स्टॉप सेंटर) के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं का पत्र क्रमांक/10487/1070/मबावि/मि.वा./2024-25 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.11.2024 के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1361/मबावि/ 2025-26 मोहला दिनांक 10.11.2025।

4/ छत्तीसगढ़ राज्य संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, अटल नगर नया रायपुर (मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण (HUB) का पत्र क्रमांक/6132/मबावि/सावि/2023-24 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.09.2023 के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1363A/ मबावि/2025-26 मोहला दिनांक 10.11.2025।

उपरोक्तानुसार विज्ञापन जारी कर जिला स्तर पर दिनांक 28.11.2025 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट www.mohla-manpur-ambagarhchowki. cg.gov.in व कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। निर्धारित तिथि पश्चात् आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल बिकास विभाग
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

आर.ओ.185/जी-252604794/3

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

Tel:0771-2221371, 2221656, E-mail: eg encphedeg@nic.in

क्रमांक 5679/त.शा.-2/F-116-2025-26/प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./2025 अटल नगर, दिनांक 15/11/2025

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथा संशोधित) अंतर्गत बारहवी बैच हेतु सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट (रसायन शास्त्र), केमिस्ट (माइकोबॉयोलॉजी), एम.बी.ए., एम.सी.ए., मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट, 12वीं+डीसीए के लिये डिग्री / डिप्लोमाधारी 190 प्रशिक्षुओं के चयन हेतु आवेदको से 01 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु दिनांक 14.11.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से 30.11.2025 (रात्रि 11:59 तक) की समयावधि में भरे जा सकेंगे। इच्छुक आवेदकों का https://nats.education.gov.in (nats 2.0) वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं नियम शर्ते का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://phed.cg.gov.in में देखा जा सकता हैं।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ०ग०)

Phone No. 2263708, 2262558 Fax-2262558 Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2025-26/9365 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2025

:: सूचना प्रकाशन ::

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लिए ऑनलाईन पंजीयन की तिथि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है तथा इन संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित है:-

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन /पंजीयन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 30.11.2025

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. **छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-**

क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष।

ख. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

ग. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र।

घ. विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2025-26 से संस्थाओं का Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

4. वर्ष 2025-26 में अनु. जनजाति एवं अनु. जाति के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

5. वर्ष 2025-26 में संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

प्र.आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

आर.ओ.186/जी-252604759/3

Police Public School, Raipur

(CBSE Affiliation No.: 3330379)

Pension Bada Raipur (C.G.) Contact-0771-4907612

E-Mail info@policepublicschoolcg.edu.in Website-www.policepublicschool.cg.edu.in

SN/128-A/PPS/2025, Dated 18/11/2025

an initiative by the Chhattisgarh Police

:: Recruitment for session 2026-27 ::

Post	Subject	No. of Post	Qualification	Exp.	Preferred Age	Salary
PGT	Economics	1	M.A. (Economics) and B.Ed.	Min3 years	Below 40 years	Min 35K
	History	1	M.A. (History) and B.Ed.			
	Physical Activity Trainer	1	M.P.Ed.			
	Business Studies	1	M.Com (Commerce) and B.Ed.			
TGT (9&10)	English	2	M.A. (English) and B.Ed.	Min3 years	Below 40 years	Min 25K
	Hindi	1	M.A. (Hindi/ Sanskrit) and B.Ed.			
	Mathematics	1	M.Sc. (Maths) and B.Ed.			
	Science	1	M.Sc. (Biology) and B.Ed.			
TGT (6 to 8)	English	2	BA. (English) and B.Ed.	Min.3 years	Below 35 years	Min 20K
	Hindi	1	M.A. (Hindi/ Sanskrit) and B.Ed.			
	Mathematics	2	M.Sc. (Maths) and B.Ed.			
	Science	2	M.Sc. (Biology) and B.Ed.			
	Social Studies	2	M.A. (Political Science/ History/Geograp hy) and B.Ed			
	Gemes	1	B.P.Ed			
PRT (1 to 5)	English	5	M.A. (English) and B.Ed.	Min.3 years	Below 30 years	Min 18K
	Hindi	2	M.A. (Hindi/ Sanskrit) and B.Ed.			
	Mathematics	2	M.Sc. (Maths) and B.Ed.			
	Evs	2	M.Sc. (Biology) and B.Ed.			
	Dance	1	B.A./M.A. (Dance)			
	Gemes	1	B.P.Ed			
PPRT		3	NTT or Montessori trained graduates.	Min.3 years	Below30 years	Min18K
Library &Lab	Assistant Librarian	1	B.Lib.	Min.3 years	Below30 years	Min 12K
	Lab Attendant (physics)	1	B.Sc.(Physics)			
	LabA ttendant (Chemistry)	1	B.Sc.(Chemistry)			

Kindly mention the post clearly in your application.

You may email your CV in the prescribed format (Please check website for details.) or even submit it at the school office on or before 6th December, 2025. Interviews will be conducted in the first and second week of January, 2026. Only short listed candidates will be called after each level.

Principal
Police Public School
Pension Bada, Raipur (C.G)

आर.ओ.187/जी-25260486/3

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ०ग०)

Phone No. 2263708, 2262558 Fax-2262558 Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2025-26/9368 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2025

::सूचना प्रकाशन::

वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के अनुसूचित जाति के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लिए अंतिम तिथि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों. इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है तथा इन संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गयी है :-

क्र	शिक्षा-सत्र	अंतिम तिथि
1	वर्ष 2022-23	दिनांक 30.11.2025
2	वर्ष 2023-24	दिनांक 30.11.2025
3	वर्ष 2024-25	दिनांक 31.12.2025

उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन हेतु अवसर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

प्र.आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

आर.ओ.188/जी-252604757/3

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-महासमुन्द (छ.ग)

Phone No. 07723-222232, E-Mail-cmho_mahasamund@rediffmail.com

क्रमांक / NHM/सं.भ./2025/4411 महासमुन्द, दिनांकः 11/11/2025

-:: संविदा भर्ती विज्ञापन ::-

कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष आरोपी 2025-26 में स्वीकृत पदों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नवीन स्वीकृत पद् एवं पदत्याग के कारण रिक्त पदों की भर्ती जिला स्तर पर की किया जाना है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला महासमुन्द में MO-Ayush (RBSK)-02, Dental Surgeons-01, RMA-03, Block Manager-Data-01, Pharmacists (RBSK)-02, ANM(RBSK)-01, Physio therapist-03, Nursing Officer-02, Laboratory Technician (BPHU)-03, Secretarial Assistant-(NMHP)-01, Jr. Secretarial Assistant-PADA-02, Psychologist-Clinical-05, Commnuity Health Officer-29, Staff Nurse (NBSU)-2, Staff Nurse (SNCU)-04, Radiographer-02, ANM (NUHM) -02, Staff Nurse (UHWC)-1, Jr. Secretarial Assistant-(Block Level)-1, Jr. Secretarial Assistant-(UHWC)-4, तथा Class4 (UHWC)-3 संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किया जा रहा है।

उपरोक्त संविदा पदों के लिए वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थी/आवेदक रजिस्ट्री/डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन दिनांक 28/11/2025 कार्यालयीन समय शाम 05:30 बजे तक कर सकते है। निर्धारित तिथि 28.11.2025 एवं शाम 05.30 बजे के पश्चात् कार्यालय में प्राप्त आवेदन को स्वीकार नही किया जायेंगा। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी नियम-शर्ते एवं दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण महासमुन्द जिले की वेबसाइट में www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला महासमुन्द (छ०ग०)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Tele-0788-2210301,2210773 Email.cmodurg@yahoo.com

क्रमांक/एन.एच.एम./2025/10664 दुर्ग, दिनांक 20/11/2025

// सूचना //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन कमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2025/345 दुर्ग दिनांक 11.01.2025 के माध्यम से 38 पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापित पदों में से 08 पदों हेतु आज दिनांक 20.11.2025 को दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा शासकीय विश्वनाथ यादव एवं तामस्कर पीजी आटोनॉमस महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित किया गया। उक्त 08 पदों MPW-Male (UHWC), Psychologist Clinical, ANM (RBSK), Physio therapist (NUHM), ANM(NUHM), ANM(NHM), Psychologist - Clinical (Divisional), Physiotherapist (NHM&DEIC) की लिखित एवं कौशल परीक्षा परिणाम उपरांत अनंतिम मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूची तथा Social Worker-NMHP की संशोधित अनंतिम मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूची जिले के विभागीय वेबसाईट www.durg.gov.in में अपलोड किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम दुर्ग जिले के विभागीय वेबसाईट में देख सकते है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)-492002

Phone No.-0771-2972780, Website- https://vyapamcg.cgstate.gov.in

क्रमांक/व्यापम/परीक्षा एफ-20/2025/32461 रायपुर, दिनांक 13/11/2025

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET26) के ऑनलाइन आवेदन के सम्बंध में विज्ञप्ति

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर, (छ.ग.) का ज्ञाप क्रमांक /(TET)/2025/738 रायपुर, दिनांक 27.02.2025, ज्ञाप क्रमांक /(TET)/2025/3066 रायपुर, दिनांक 19.09.2025, एफ क्रमांक /(CGTET)/2025/3694 रायपुर, दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET26) का आयोजन किया जाना है। संभावित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि-13.11.2025 (गुरुवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि-08.12.2025 (सोमवार) सायं 5:00 बजे तक
3. त्रुटि सुधार -09.12.2025 से 11.12.2025 तक सायं 5:00 बजे तक
4. परीक्षा की तिथि (संभावित)-01.02.2026 (रविवार)
5. परीक्षा का समय -
   प्रथम पाली - पूर्वान्ह (09:30 से 12:15 बजे तक)
   (एक से पाँच तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु)
   द्वितीय पाली - अपरान्ह (3:00 से 5:45 बजे तक)
   (छः से आठ तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु)
6. व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि- 23.01.2026 (शुक्रवार)
7. परीक्षा केन्द्र 20 जिला मुख्यालयों में-सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर नगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर राजनांदगाँव, बलौदाबाजार, बालोद, कोण्डागाँव, सूरजपुर।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

हर बच्चे को शिक्षा
हर सपने को पंख

स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में **4.02% की वृद्धि**

₹277.84 करोड़ शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए नई योजनाएं

₹24.75 करोड़ 5 जिलों में डायट एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विकास

₹23.89 करोड़ विद्यालय भवन निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1-2 में 16 स्थानीय व 4 अंतरराज्यीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें लागू

शिक्षक सशक्तीकरण

- **1,75,666 शिक्षकों** के प्रशिक्षण का लक्ष्य
- **7000** शिक्षकों, **3000** प्रधानाचार्यों एवं **2500** व्याख्याताओं की पदोन्नति

विद्यार्थियों के लिए विशेष पहल

- **32,916 विद्यालयों में 1,16,336 न्योता भोज**
- **34 नए** नालंदा परिसर निर्माणाधीन
- **15 विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण** टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी, हेल्थकेयर आदि

नई पहल

- **341 पीएम श्री स्कूल प्रारंभ** बस्तर में 50 विद्यालय पुनः आरंभ
- **Ai आधारित डाटा विश्लेषण** व **मॉनिटरिंग** सिस्टम की स्थापना
- **₹1 करोड़** की लागत से नवा रायपुर में नया **B.Ed. कॉलेज** एवं **17 नए पदों का प्रावधान**

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

युक्तियुक्तकरण

- **100%** स्कूल अब शिक्षक विहीन नहीं
- **15,165** शिक्षकों का समायोजन
- **10,538** शालाओं का युक्तियुक्तकरण
- छात्र संख्या व उपस्थिति में वृद्धि
- अधोसंरचना विकास और प्रशासनिक मजबूती

संकल्प से सिद्धी की ओर

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में

धान खरीदी का त्योहार

15 नवंबर से 31 जनवरी 2026

- किसानों के लिए और सहज सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था
- ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी
- कुल 2739 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी
- एक सप्ताह के भीतर किसानों को पूर्ण भुगतान
- पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल
- धान खरीदी की मानिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
- गुणवत्तापूर्ण धान खरीदी पर समितियो को प्रति क्विंटल पाँच रुपये प्रोत्साहन राशि
- 'टोकन तुंहर हाथ' मोबाइल एप से सुविधाजनक खरीदी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in | छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मितल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो